-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **स्वयं के विरुद्ध वर्ष 2005 में दर्ज मुकदमे में मा० न्यायालय का कूटरचित दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह करने वाले पुलिसकर्मी (मुख्य आरक्षी) को थाना नरैनी पुलिस द्वारा जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा स्वयं के विरुद्ध वर्ष 2005 में दर्ज मुकदमे में मा० न्यायालय का कूटरचित दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह करने वाले पुलिसकर्मी (मुख्य आरक्षी) को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि थाना नरैनी में मु0अ0सं0 21/05, धारा 452/323/504/506/325/295/120बी भादवि एवं धारा 12(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना नरैनी में तत्समय तैनात आरक्षी भाई लाल (वर्तमान में मुख्य आरक्षी) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में स्वयं को दोषमुक्त दर्शाने के उद्देश्य से आरक्षी भाई लाल द्वारा मा0 न्यायालय का दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया गया था, जो जांच के दौरान पूर्णतः कूटरचित पाया गया था तथा इस संबंध में वर्ष 2025 में अभियुक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध थाना नरैनी पर एक अन्य अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को जनपद प्रयागराज के म्योर रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भाई लाल पुत्र शिव निवासी राजपुर आमघाट थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अं0सं0 371/25 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 21/05 धारा 452/323/504/506/325/295/120बी भादवि व 12(2) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संतोष कुमार ओझा प्र0नि0 थाना नरैनी
2. व0उ0नि0 श्री अजीत कुमार
3. उ0नि0 श्री सौरव गौतम
4. का0 अवधेश यादव